भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 083414

उत्तर प्रदेश

कोषागार 1420

21 JAN 2010

Razia Sultana 317

बयनामा

SALE DEED#2C

विक्रीत रकबा 0.290 हैक्टेयर
ग्राम – हरथला एहतमाली
बयनामा रू0 6,01,000/–
मालियत रू0 6,01,000/–

ब्लाक – मुरादाबाद

स्टाम्प रू0 36,100/–

हम कि मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–821, न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) के अधीन दिनांक 08.08.2000 को पंजीकृत एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–42, अबुल फजल एन्कलेव, पार्ट–2, ठोकर नं0–7, शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली– 110025 है, द्वारा डायरेक्टर अहमद जकरिया पुत्र श्री मौहम्मद राशिद निवासी बाईपास, पंडितनगला, शहर व जिला मुरादाबाद एवं विकास मेडिकोज, बाईपास, सम्भल रोड, मुरादाबाद जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) के अधीन दिनांक 06.08.1986 को पंजीकृत एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय पंडितनगला, बाईपास, सम्भल रोड, मुरादाबाद–244001 है, द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद उमर फारूक पुत्र श्री मौहम्मद राशिद निवासी बाईपास, पंडितनगला, शहर व जिला मुरादाबाद एवं एवन होम्स प्राईवेट लिमिटेड, एम–115, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली जोकि कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का) के अधीन दिनांक 23.05.2000 को पंजीकृत एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी–42, अबुल फजल एन्कलेव, पार्ट–2, ठोकर नं0–7, शाहीन बाग, जामिया

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

L 304229

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19 JAN 2010

(2)

नगर, ओखला, नई दिल्ली– 110025 है, द्वारा डायरेक्टर खालिद मसूद पुत्र श्री मौहम्मद राशिद निवासी बाईपास, पंडितनगला, शहर व जिला मुरादाबाद, जिसमें मरकरी होम्स प्राईवेट लिमिटेड, डी–621, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली की बैठक दिनांक 15–01–2010 में पारित प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्टर अहमद जकरिया पुत्र श्री मौहम्मद राशिद को एवं विकास मेडिकोज, बाईपास, पंडितनगला, मुरादाबाद की बैठक दिनांक 15–01–2010 में पारित प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्टर मौहम्मद उमर फारूक पुत्र श्री मौहम्मद राशिद को एवं एवन होम्स प्राईवेट लिमिटेड, एम–115, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली की बैठक दिनांक 15–01–2010 में पारित प्रस्ताव के अनुसार डायरेक्टर खालिद मसूद पुत्र श्री मौहम्मद राशिद को उक्त बयनामा निष्पादित व पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया गया है–विक्रेतागणप्रथम पक्ष

एवं

श्रीमती रजिया सुल्ताना पत्नी श्री मौहम्मद उमर फारूख निवासी पंडितनगला बाईपास, शहर व जिला मुरादाबाद – क्रेता द्वितीय पक्ष हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 0.290 हेक्टेयर जिसका सम्पूर्ण विवरण बयनामें के अन्त में दिया गया है। जिस पर विक्रेतागण–प्रथम पक्ष बजरिये बयनामा इकरारी सन्तोषा क्राफ्टर्स, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 4817 पृष्ठ संख्या– 177 / 210 क्रम संख्या – 1734 पर दिनांक 07–04–2005 को हुआ है एवं बयनामा इकरारी गेटवे होम्स प्रा0 लि0, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 4817 पृष्ठ 211 / 230 क्रम सं0 1735 पर दिनांक 07–04–2005 को हुआ है एवं जरिये खरीद बयनामा इकरारी रमेश सिंह यादव, जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय, मुरादाबाद में बही संख्या–1 जिल्द 3274 पृष्ठ 1 / 14 क्रम सं0 1779 पर दिनांक 26–02–01 को हुआ है एवं एवं बयनामा इकरारी एडवांस एज रियलटर्स प्रा0 लि0,

Razia Sultana

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

L 304230

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19 JAN 2011

(3)

जिसका पंजीकरण उपनिबन्धक कार्यालय मुरादाबाद में बही नं0 1 जिल्द 4817 पृष्ठ 123/132 क्रम सं0 1729 पर दिनांक 07–04–2005 को हुआ है, बादहू दाखिल खारिज मालिक व काबिज व दखील हैं। जिसकी निस्बत जुमला अख्त्यारात तन्हा विक्रेतागण – प्रथम पक्ष को हासिल है। जो इस समय तक हर किस्म के बार वगैरा, लोन सरकारी, गैर सरकारी, हिबेनामा, जमानत नामा, कुर्की, नीलाम योम, हर किस्म से पाक व साफ हालत में है। जिसके पाक व साफ होने की जानकारी क्रेता–द्वितीय पक्ष को भली–भांति करा दी गई है। अतऐव बखुशी व रजामन्दी बिला किसी दबाव के, कुल आराजी काश्त, जिसका विवरण बयनामें के अंत में दिया गया है, मजकूरा बाला को मय तमामी हकूक व हदूद मय दाखिली व खारिजी मुताल्लिका मय हकूक भूमिधाराना व काश्तकाराना व दीगर जुज बिला इस्तसनाये किसी जुज हक व हिस्से के बकीमत मुबलिग रू0 **6,01,000/–** रूपये (छः लाख एक हजार रूपये) जिसके आधे **3,00,500/–** (तीन लाख पांच सौ मात्र) रूपये होते है में बदस्त **श्रीमती रजिया सुल्ताना पत्नी श्री मौहम्मद उमर फारूख निवासी पंडितनगला बाईपास, शहर व जिला मुरादाबाद** – क्रेता (द्वितीय पक्ष) के बय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन जिसकी तफसील अन्त में दी गयी है, क्रेता–द्वितीय पक्ष से वसूल पाकर तमामी शय मुबईया अपने कब्जे व दखल मालिकाना से निकाल कर उस पर कब्जा व दखल क्रेता–द्वितीय पक्ष का करा दिया, कब्जो मुश्तरी में दे दी विक्रेतागण–प्रथम पक्ष ने, चुनाचे कब्जा बदल अमल में आ गया। अब मुश्तरी को हक हासिल है कि वह कागजात सरकारी में व इखराज नाम विक्रेतागण–प्रथम पक्ष अपना नाम दर्ज करा ले विक्रेतागण–प्रथम पक्ष या वारिसान विक्रेतागण–प्रथम पक्ष को कुछ उज्र नहीं होगा अगर दावेदारी किसी शरीक या सहीम या कर्ज ख्वाह के शय मुबईया का कुल या जुज कब्जे मुश्तरी से निकल जावे तो विक्रेतागण–प्रथम पक्ष वापसी जरे समन के मय हरजे व खर्चे अदालती के देनदार व जिम्मेदार अपनी जात व जायदाद से मुश्तरी को होंगे कुछ उज्र नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 5 JAN 2010 G 731995

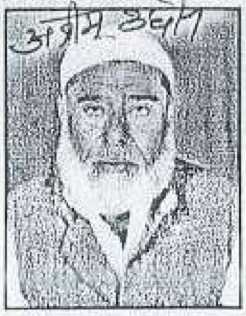

मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद

(4)

आराजी के 200 मीटर की त्रिज्या में कोई विशेष स्थान नहीं है। आराजी में कोई पेड़, कूप, भवन व बोरिंग नहीं है। विक्रेतागण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। विक्रेतागण–प्रथम पक्ष व क्रेता–द्वितीय पक्ष के फोटो को गवाहान की पहचान पर **श्री दूल्हा खां, कातिब** मुरादाबाद ने प्रमाणित किये हैं। जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा जारी मूल्य सूची दिनांक 04–08–08 के परिशिष्ट–1, उपखण्ड "ग" पृष्ठ संख्या–10 क्रम संख्या–85 के अनुसार 2.2437 एकड़ में विक्रीत बकदर 29/100 भाग की मालियत **8,00,000/=** रूपये प्रति एकड़ एवं क्रम संख्या–86 के अनुसार 0.2273 एकड़ में विक्रीत बकदर 29/100 भाग की मालियत **12,00,000/–** रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उक्त सम्पूर्ण विक्रीत आराजी की सरकारी कीमत **6,01,000/–** रूपये होती है। जिस पर नियमानुसार **36,100/–** रूपये का स्टाम्प अदा किया गया है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है, आराजी का कोई मुआयदाबय आदि नहीं हुआ है। आराजी कृषि भूमि है जिस पर कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी में क्रेता सहखातेदार है तथा आराजी क्रेता के मेंड मिलान है। लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

तफसील वसूलयाबी जरें समन–अंकन रू0 **6,01,000/–** (छः लाख एक हजार मात्र) इस प्रकार कि अंकन 8,00,40/– रूपये द्वारा चैक सं0 348608 एवं अंकन 1,19,480/– रूपये द्वारा चैक सं0 348606 एवं अंकन 4,01,360/– रूपये द्वारा चैक सं0 348607 एवं अंकन 120/– रूपये नकद कबल रजिस्ट्री बयनामा हाजा वसूल पाये।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 10 DEC 2009 W 336873

(5)

विवरण विक्रीत आराजी काश्त स्थित मौजा हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद।

खाता सं0	खसरा सं0	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	लगान	विक्रीत क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
88	317मि0	0.813	26.00	0.086
90	464मि0	0.514	12.70	0.092
245	471	0.725	17.90	0.025
245	472	0.202	5.00	0.202
35	473	0.551	13.60	.0116
245	476	0.619	15.30	0.404
349	477	0.162	4.00	0.068
243	478	0.709	13.75	0.007
कुल विक्रीत क्षेत्रफल				1.000 हैक्टेयर अर्थात 2.471 एकड़ का 29/100 भाग = 0.290 हैक्टेयर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

317
475
477
474
476
315
472
473
470
464
471
466
465
467
Razia Sultana

आज दिनांक 05/02/2010 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6376

पृष्ठ सं. 285 से 304 पर क्रमांक 822

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी0 के0 यादव

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

न्यायालय तहसील सदर मुरादाबाद

वादसंख्या 864/धारा34

आदेश दिनांक 20/8/10